न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 21/2011/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी

1. परमजीत कौर उर्फ सुखजीत कौर पुत्री स्व0 फूल सिंह धर्मपत्नि श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थीया

बनाम

1. सरदूल सिंह पुत्र स्व0 जंग सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. लाभ सिंह (फौत)

2/1. कुलदीप सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

2/2. अमनदीप सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

2/3. अमरजीत कौर पत्नी लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

3. लाभ सिंह पुत्र स्व0 मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
4. छिन्द्र कौर पुत्री स्व0 मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
5. बिन्द्र कौर पुत्री स्व0 मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
6. नसीब कौर पत्नी मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
7. गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 जय सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
8. पाला सिंह पुत्र स्व0 जय सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
9. जगतार सिंह पुत्र स्व0 जय सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

10. बलजीत कौर (फौत)

10/1 सुखवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ., तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

10/2 भगवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ., तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

10/3 वीरपाल कौर पुत्री बलजीत सिंह पत्नी निशान सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

11. सुखदेव कौर पुत्री स्व0 जय सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

12. तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
13. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
14. छिन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री जंग सिंह पत्नी भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.06.1996

उपस्थित :—

1. श्री मनजिन्द्र सिंह लेघा अभिभाषक, प्रार्थीया।
2. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 व 2/1 से 2/3,
3. श्री महेन्द्र सिंह संधू अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 3, 7 ता 9
4. श्री आनन्द मोदी अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 14
5. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 12, 13

निर्णय दिनांकः— 15.02.2018

1. प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की अपील संख्या 31/95, बअनवानी फूल सिंह आदि बनाम सरदूल सिंह, अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, में पारित आदेश दिनांक 18.06.1996 को अपास्त करने व अपील को वाजबे नंबर पर कायम करने हेतु इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता फूल सिंह ने अपने जीवनकाल में राजस्व अपील बअनवानी फूल सिंह आदि बनाम सरदूल सिंह प्रस्तुत की थी। दिनांक 18.06.1996 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के पिता को बहका—फुसलाकर अपने साथ हनुमानगढ़ लाए व प्रार्थीया को बिना बताए प्रार्थीया के पिता के अंगुठा लगाकर बरूबे राजीनामा अपील को खारिज करवा लिया। जबकि प्रार्थीया ने उपरोक्त अनवानी अपील को निरस्त/खारिज करवाने हेतु अपनी कोई सहमति प्रदान नहीं की। आदेशिका दिनांक 18.06.1996 पर फूल सिंह का अंगूठा दर्शाया गया है। इसका मिलान मूल अपील पर फूल सिंह के अंगूठों से मिलान किया जावे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदेशिका दिनांक 18.06.1996 पर अंकित अंगूठा फूल सिंह का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अत्यन्त चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं। इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से दुरभि—संधि कर उसे फूल सिंह बताकर मिथ्या आधारों पर अपील खारिज करवाई है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि प्रार्थीया की अपील अचल सम्पति से संबंधित है। प्रार्थीया अपने दादा स्व0 जंग सिंह की कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है। दिनांक 24.05.2011 को प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास हो गया। दिनांक 24.05.2011 से पूर्व प्रार्थीया के पिता ने प्रार्थीया के समक्ष अथवा रिश्तेदारान के समक्ष कभी यह प्रकट नहीं किया कि उसका अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से राजीनामा हो चुका है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर जंग सिंह के विरूद्ध

मिथ्या आरोप लगाते हुए मिथ्या आधारों पर निर्णय पारित करवाकर डिक्री प्राप्त की है तथा राजस्व वाद में प्रार्थीया के पिता को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह कथन किए कि अनवानी अपील में विधिक बिन्दू उठाए गए, विधिक बिन्दुओं के आधार पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.1992 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर बदयान्तिपूर्वक उक्त अनवानी अपील को दिनांक 18.06.1996 को अपास्त होना अभिकथित किया जबकि प्रार्थीया ने उपरोक्त अनवानी अपील को बरूबे राजीनामा खारिज किए जाने की कोई सहमति प्रदान नहीं की। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता ने उपरोक्त अनवानी अपील फूल सिंह आदि बनाम सरदूल सिंह में पैरवी हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया हुआ था।

2. उपरोक्त अनवानी अपील में प्रार्थीया अपीलान्ट संख्या 2 के रूप में स्थापित है। दिनांक 18.06.1996 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के पिता को बहका—फुसलाकर अपने साथ हनुमानगढ़ लाए व प्रार्थीया को बिना बताए प्रार्थीया के पिता के अंगुठा लगाकर बरूबे राजीनामा अपील को खारिज करवा लिया। दिनांक 12.09.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया को ग्राम शेरगढ़ में यह धमकी दी कि उन्होंने प्रार्थीया व उसके पिता द्वारा प्रस्तुत अपील को वर्ष 1996 में ही खारिज करवा लिया था चूंकि इस अपील में प्रार्थीया का पिता ही पैरवी करता था एवं जब भी प्रार्थीया के पिता से अपील के संबंध में जानकारी लेती तो उसके पिता द्वारा यही बताया जाता कि अपील अभी लंबित है। दिनांक 24.05.2011 को प्रार्थीया के पिता का देहावसान होने के बाद प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थीया को उक्त अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं दी। अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देने पर प्रार्थीया दिनांक 12.09.2011 को न्यायालय में उपस्थित आई तो उनके अभिभाषक द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। तब प्रार्थीया ने अपना दूसरा वकील नियुक्त किया तो नए अभिभाषक द्वारा यह बताया गया कि उनकी अपील दिनांक 18.06.1996 को उनके पिता द्वारा राजीनामा करने पर निरस्त कर दी गई है। जबकि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ कभी भी राजीनामा नहीं किया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 ता 9 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत

कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया तथा यह कथन किए कि फूल सिंह तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा जंग सिंह के मध्य घराघरू बंटवार हो चुका था। उक्त घराघरू बंटवारा के मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ही प्राप्त हुई। घराघरू बंटवारा के मुताबिक फूल सिंह का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था। मुताबिक घराघरू बंटवारा यह तय हुआ था कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह के नाम करवानी है। उस वक्त उक्त कृषि भूमि जंग सिंह के नाम से थी इस कारण जंग सिंह को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता को वाद पत्र व डिक्री दिनांक 23.06.1992 का शुरू से ही ज्ञान रहा है। प्रार्थीया किसी भी आधार पर वाद पत्र संख्या 128/1992 में आवश्यक पक्षकार नहीं थी। प्रार्थीया के इन कथनों को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया कि प्रार्थीया के पिता का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ कभी राजीनामा न हुआ हो। आदेशिका दिनांक 18.06.1996 पर फूल सिंह का अंगूठा है जिसकी पहचान उसके अधिवक्ता ने की है। प्रार्थीया ने आदेश दिनांक 18.06.1996 को अपास्त करवाने हेतु विरोधाभासी कथन किए हैं। एक तरफ तो प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह पर प्रार्थीया के पिता को बहका–फुसलाकर अपने साथ हनुमानगढ़ लाने व उनके अंगूठे करवाने का कथन कर रही है तथा दूसरी तरफ अंगूठे फर्जी होने का कथन कर रही है जो विरोधाभासी है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी पर मिथ्या लांछन लगाए हैं। प्रार्थीया को राजीनामा का शुरू से ही ज्ञान रहा है।

4. प्रार्थीया का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया ने अपील में तृतीय पक्ष बनने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया बल्कि तृतीय पक्षकार बनने हेतु मात्र फूल सिंह का ही प्रार्थना पत्र था। ताहम भी सन् 1996 में लड़की का पैतृक सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं था। इस कारण प्रार्थीया वाद पत्र में कोई आवश्यक पक्षकार नहीं थी तथा न ही उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था। अपील में फूल सिंह ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष राजीनामा होने का कथन कर अपील वापिस ली थी। उक्त अपील में फूल सिंह की पूर्णतया सहमति थी। प्रार्थीया व फूल सिंह के एक ही अधिवक्ता थे तथा यह भी कथन किए कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। निर्णय दिनांक 18.06.1996 अंतिम हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2/1 से 2/3 ने दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब भी प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2/1 से 2/3 ने प्रार्थीया के दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया तथा प्रश्नगत भूमि घराघरू बंटवारा में अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह को प्राप्त होने के कथन किए। प्रश्नगत

कृषि भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह के पास शुरू से ही रहा है तथा उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह ने बैंक से ऋण भी प्राप्त किया है। प्रार्थीया को आदेश दिनांक 18.06.1996 का शुरू से ही ज्ञान रहा है तथा प्रार्थीया के इस कथन को हास्यास्पद बताया है कि दिनांक 12.09.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया को ग्राम शेरगढ़ में जाकर धमकी दी हो कि उन्होंने प्रार्थीया व उसके पिता द्वारा प्रस्तुत अपील को 1996 में ही खारिज करवा लिया था। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी कथन किए कि अप्रार्थी संख्या 1 व लाभ सिंह दिनांक 12.09.2011 को शेरगढ़ नहीं गए तथा न ही कोई धमकी दी। शेरगढ़ में जाकर 15 वर्ष पश्चात् प्रार्थीया को अपील 1996 में खारिज करवाने के संबंध में कहना मानवीय सोच के विपरीत है तथा यह निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे।

5. पत्रावली मे दिनांक 03.06.2016 को छिन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री जंग सिंह ने अधिवक्ता की मार्फत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन किया। दिनांक 13.06.2016 को न्यायालय द्वारा उसे बतौर अप्रार्थी संख्या 14 के रूप में पक्षकार बनाए जाने के आदेश दिए गए। मूल पत्रावली तलब की गई।
6. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पिता को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहला फुसलाकर ले आए तथा प्रार्थीया को बिना बताए प्रार्थीया के पिता के अंगुष्ठ लगवाकर अपील खारिज करवा ली। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने उक्त अपील के बाबत् कभी भी कोई जानकारी नहीं दी। प्रार्थीया को दिनांक 12.09.2011 को न्यायालय में उपस्थित आने पर उसके अधिवक्ता द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर प्रार्थीया ने दूसरा वकील नियुक्त करने पर उक्त आदेश दिनांक 18.06.1996 की जानकारी हुई तथा उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता की गलती के लिए पक्षकार दंडित नहीं हो सकता। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीया ने आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 104 व आर0आर0डब्लयू0 2002 (4) पेज 2280 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील बअनवानी फूलसिंह बनाम सरदूलसिंह आदि अपील सं0 223/95 मे पारित आदेश दिनांक 18.06.1996 को अपास्त किया जाकर अपील बाजवे नम्बर पर ली जावे।
8. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इसके विरूद्ध सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जा

सकती है, राजस्व न्यायालय को इसको सुनने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि दिनांक 18.06.1996 को फूल सिंह व प्रार्थीया के अधिवक्ता एक ही थे तथा अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता द्वारा की गई कार्यवाही से प्रार्थीया विबंधित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 18.06.1996 को फूल सिंह स्वयं तथा फूल सिंह प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.1996 आदेश 17 नियम 3 के तहत पारित हुआ है तथा आदेश दिनांक 18.06.1996 अन्तिम है तथा इस आदेश के विरूद्ध रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। मूल अपील में प्रस्तुत 96 का प्रार्थना पत्र फूल सिंह से संबंधित था, प्रार्थीया से संबंधित नहीं था तथा न ही प्रार्थीया का प्रश्नगत सम्पति में कोई हक व अधिकार था। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सर्वथा मियाद बाहर है जो 15 वर्ष 02 माह 24 दिन बाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के अभिवचनों के मुताबिक कि दिनांक 18.06.1996 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के पिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए व प्रार्थीया को बिना बताए प्रार्थीया के पिता के अंगुठा लगाकर बरूबे राजीनामा अपील को खारिज करवा लिया। इन तथ्यों से बखूबी साबित है कि प्रार्थीया को आदेश दिनांक 18.06.1996 का शुरू से ही ज्ञान रहा है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई स्पष्ट कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 1995 पेज 409, आर.आर.टी. 1997 पेज 117, आर.एल. डब्लयू. 2006 (2) आर.जे. पेज 1047, डी.एन.जे. 2014 (1) राजस्थान पेज 140, सी.सी.सी. 2013 (1) पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 205, डी.एन.जे. 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 764, डी.एन.जे. 2014 (1) राजस्थान पेज 147, डी.एन.जे. 2013 (3) राजस्थान पेज 1321, डी.एन.जे. 2013 (1) राजस्थान पेज 141, आर.एल.डब्लयू. 2011 (2) आर.जे. पेज 900, सी.सी.सी. 2007 (2) पेज 250, आर.एल.डब्लयू. 2006 (2) पेज 919, आर.आर.डी. 1998 पेज 492 व 429 एवं आर. आर.डी. 1988 पेज 628 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज किया जावें।

9. विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीया व फूल सिंह के अधिवक्ता श्री रतनलाल नागौरी थे। फूल सिंह ने दिनांक 18.06.1996 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा होने के कथन किये। दिनांक 18.06.96 को फूल सिंह स्वयं तथा प्रार्थीया एवं फूल सिंह के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे। दिनांक 18.06.96 को प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित थे जिन्होने राजीनामा होने का कथन

कर अपील दाखिल दफ्तर किये जाने का निवेदन किया। विधिनुसार प्रार्थीया के अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से उक्त पत्रावली में उक्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत था। प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता के विरूद्व इस राजीनामा के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किये तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीया ने अपने पूर्व अधिवक्ता के विरूद्व कोई कार्यवाही की हो। प्रार्थीया ने निर्णय दिनांक 18.06.96 के विरूद्ध दिनांक 14.09.11 को लगभग 15 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 का प्रार्थना पत्र रेस्टोर हेतु प्रस्तुत किया है।

10. प्रार्थीया ने अपने मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थीया अपने पिता से इस अपील के सम्बन्ध में जब भी जानकारी लेती तो उसके पिता द्वारा यही बताया जाता था कि अपील अभी लम्बित है। होने का कथन करते। यह तथ्य विश्वास योग्य नहीं है बल्कि इस कथन से इस तथ्य को बल मिलता है कि प्रार्थीया को इस आदेश दिनांक 18.06.96 का ज्ञान शुरू से ही रहा है चूंकि इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.06.96 प्रार्थीया के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुआ है जो अन्तिम आदेश है। इस आदेश के विरूद्व 15 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात रेस्टोरेशन के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे 15 वर्ष के विलम्ब को बिना युक्तियुक्त कारण कन्डोन किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन/आधारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर0ए0एस0)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़